



डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक:- 206/353/2016

दिनांक:- 07-09-2016

कार्यालय आदेश

छात्र/छात्राओं द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिकायें दिखाने एवं उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों पर परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 05.08.2016, कार्य परिषद की बैठक दिनांक 06.08.2016 द्वारा अनुमोदित द्वारा निर्णय लिया गया कि अभ्यर्थियों द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिकाओं को दिखाने अथवा छायाप्रति की मांग किये जाने पर स्नातक पाठ्यक्रम की प्रति उत्तर पुस्तिका रुपये 300/- तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की प्रति उत्तर पुस्तिका रुपये 500/- जमा करने के उपरान्त ही दिखायी/उपलब्ध करायी जाये।

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त अधिकतम अपने तीन माह के अन्दर जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिकायें दिखाने अथवा छायाप्रति उपलब्ध कराये जाने के प्रार्थना पत्र पर ही विचार किया जायेगा। यदि परीक्षा परिणाम घोषित होने के तीन माह बाद प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

(कैलाश नाथ सिंह)
परीक्षा नियन्त्रक

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षक, कुलपति कार्यालय।
2. उपकुलसचिव जनसूचना को इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये सम्बन्धित को दिशा निर्देश जारी करें।
3. एजेन्सी 2015-16 को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेश को विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड करें।
4. अधीक्षक जनसूचना।
5. गार्ड फाइल।

Agency 2015-16
प्रति कार्यालय प्रो. गो. गो.
website पर permanent
display करे।
ap

परिष्ठा नियन्त्रक
Order regarding seeking RTI
for Answer Books.